

बिहार गज़ट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 241)

6 ज्येष्ठ 1933 (श0) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं0 एल0जी0-1-08/2011/लेज: 99—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई, 2011 को अनुमित दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव। [बिहार अधिनियम 7, 2011]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) में संशोधन के लिये अधिनियम। भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार अधिनियम, 11. 2007 की धारा-2 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-2 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-(i) उपधारा-(100) के बाद निम्नांकित नई उपधाराएँ जोड़ी जायेंगी:-
- (101) ''कार्यानुपालन प्रतिवेदन का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243 (वाई)-सह-पठित अनुच्छेद-243 (आई) के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई;
 - (102) "क्षेत्र सभा" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-31 के अंतर्गत गठित क्षेत्र सभा;
- (103) ''शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सुविधाएँ' का अर्थ है जलापूर्ति, मलवाही नालियाँ एवं जलनिकासी नालियाँ, शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गलियों में प्रकाश व्यवस्था और आंतरिक सड़कें;
- (104) ''पार्षदों के बोर्ड'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत आम निर्वाचन में अथवा उप-निर्वाचन में निर्वाचित पार्षदों का निर्वाचित निकाय;
- (105) ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' का अर्थ है बिहार और उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1925 के अंतर्गत स्थानीय लेखा परीक्षक;
 - (106) "सरकार" का अर्थ है बिहार की राज्य सरकार;
 - (107) ''लोकप्रहरी'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-44 के अंतर्गत नियुक्त लोकप्रहरी';
- (108) ''सम्पत्ति कर बोर्ड'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-138 'अ' के अंतर्गत गठित सम्पत्ति कर बोर्ड:
- (109) ''गंदीबस्ती'' का अर्थ है कम से कम 100 लोगों अथवा 20 जीर्णशीर्ण रूप से अस्वास्थ्यकर वातावरण में सामान्यत: अपर्याप्त आधारभूत संरचना और समुचित स्वच्छता तथा पीने का पानी की सुविधा के अभाव के बीच निर्मित बासगृह;
- (110) "खाली भूमि" का अर्थ है कोई भूमि जो क्रय, उपहार अथवा अन्य रूप से अर्जित हो, जिसपर अर्जन के बाद भवन का निर्माण नहीं किया गया हो तथा भवन से सम्बद्ध भूमि जो भवन उपविधि के अंतर्गत अनुमेय अच्छादन से अधिक भूमि;
- (ii) धारा-2 की उप-धारा (57) में संख्या '100' को संख्या '98' के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (iii) धारा-2 की उप-धारा (58) में संख्या '89' को संख्या '87' के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 3. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन। उक्त अधिनियम के अंग्रेजी पाठ की धारा-12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में कोष्ठक और संख्या (1) कोष्ठक और अक्षर (a) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 4. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-16 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-16 के खंड (घ) के बाद निम्नांकित नया खंड (ड.) जोड़ा जायेगा; यथा-
- (इ.) इस अधिनियम की धारा-17 के अंतर्गत वापस, धारा-18 अथवा धारा-475 के अंतर्गत निरर्हित अथवा धारा-18 'अ' के अंतर्गत हटाया गया।
- 5. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-16 के बाद नई धारा-16 अ का जोड़ा जाना।-उक्त अधिनियम की धारा-16 के बाद एक नयी धारा-16 (अ) जोड़ी जायेगी। यथा:-

- "16 अ—पार्षदों के शक्ति एवं कार्य:-(1) नगरपालिका के समक्ष विषयों के पुनर्विलोकन और निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया में विषयवस्तु पर विचार-विमर्श करने में सक्रिय भाग लेना;
- (2) नगरपालिका की नीतियों और उदद्श्य का यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्विलोकन करना कि वे स्थानीय क्षेत्र के लिये उपयुक्त हों;
- (3) नगरपालिका के संसाधन विनिधान, व्यय एवं कार्यकलापों, विशेषत: गरीबों एवं महिलाओं के लिये इसकी सेवा परिदान की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन;
- (4) नगरपालिका की बैठकों में भाग लेना, बैठकों की कार्यसूची एवं रिपोर्टों का अध्ययन एवं उन पर विचार-विमर्श में रचनात्मक भाग लेने के लिये उद्यत रहना;
- (5) नगरपालिका के समस्त हित एवं कल्याण पर विचार करना इसकी जानकारी में ऐसी कोई बात लाना जो नगरपालिका के गरीब समुदाय के कल्याण को प्रोन्नत करता हो;
- (6) वार्ड स्तरीय विकास योजनाओं को तैयार करने में नगरपालिका की सहायता करना, योजनाओं की तैयारी में सामुदायिक, विशेषत: गरीबों एवं महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना; एवं
- (7) सरकार की सामुदायिक कल्याण, विशेषत: गरीबों एवं महिलाओं के कल्याण की योजनाओं के लाभुकों को चिन्हित करने में नगरपालिका की सहायता करना।
- 6. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-17 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-17 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-
 - (i) उप-धारा (1) का प्रथम परन्तुक निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-
 - '' वापसी की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जायेगी कि जब तक किसी वार्ड के निबंधित मतदाताओं के दो तिहाई मतदाताओं द्वारा यह आरोप लगाते हुये अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया जाता है कि उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद अपने पद पर रहने के अयोग्य है।

धारा-17 की उप-धारा (2) निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

- ''उप-धारा (1) के अधीन जब किसी पार्षद् को वापस बुलाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तो राज्य सरकार जैसा कि वह उचित समझे यह जाँचकर एवं संतुष्ट होकर कि कुल निबंधित मतदाओं का बहुसंख्यक पार्षद की वापसी चाहता है, राज्य निर्वाचन आयोग को संदर्भित करेगी।
- (ii) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नांकित नई उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी; यथा-
- ''(4)-यदि कोई पार्षद अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में अपचार का दोषी हो अथवा वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष हो या किसी दण्ड न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार के लिये अंतर्गत विवक्षित आदेश के अध्यधीन हो जो राज्य सरकार की राय में उसे पार्षद रहने के अयोग्य बनाता हो तो उसे सुनवाई का एक मौका देने के बाद राज्य सरकार के द्वारा हटा दिया जायेगा।''
- 7. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-18 का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-18 में निम्निलिखित संशोधन किया जायेगा; यथा- ;पद्ध बिहार अधिनियम की धारा-18 (ख) का संशोधन:- उक्त अधिनियम की धारा-18 (ख) के परन्तुक को निम्निलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा; यथा-

''परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो उसे इस आधार पर निरर्हित घोषित नहीं किया जायेगा कि उसकी उम्र पच्चीस वर्ष से कम है।''

(ii) बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-18 (2) का संशोधन।-

उक्त अधिनियम की धारा-18 (2) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।-

''यदि किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रश्न उठे कि नगरपालिका के पार्षद निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात्, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-243-फ में प्रावधान किया गया है एवं इस अधिनियम की धारा-475 या धारा-18 की उप-धारा (1) में उल्लिखित निर्रहताओं के अध्यधीन है, तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयुक्त को विनिश्चय के लिये सुपुर्द किया जायेगा। निर्वाचन पूर्व या निर्वाचन के पश्चात् निर्रहता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी

ऐसे मामले का संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन कर सकेगा।"

- 8. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-23 का संशोधन। -उक्त अधिनियम की धारा-23 में निम्नांकित संशोधन किया जायेगे यथा। -(i) उक्त अधिनियम की धारा-23 की उप-धारा (1) के शब्दों ''यथा निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन करेगें'' को शब्दों'' राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित करेंगे'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (ii) उप-धारा (2) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-
 - '(2) यदि उप-धारा (1) के अंतर्गत पार्षद मुख्य पार्षद को निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो राज्य सरकार पार्षदों के बोर्ड को निलंबित कर देगी और एक प्रशासक को नियुक्त करेगी। पार्षदों का बोर्ड उस समय तक के लिये जो पहले हो, निलंबित रहेगा, जबतक कि पार्षद मुख्य पार्षद का निर्वाचन नहीं करते अथवा पार्षदों का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता।''
 - (iii) उप-धारा (3) में शब्द 'मुख्य पार्षद' के बाद ''या उप-मुख्य पार्षद'' जोड़ा जायेगा।
- (iv) उप-धारा (3) में शब्द ''चुनाव करेगा'' के बाद शब्द'' और इस प्रकार निर्वाचित मुख्य पार्षद अथवा उपमुख्य पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा'' से अन्तःस्थापित किया जायेगा।
- (v) उप-धारा (3) के बाद निम्नांकित उपधारा (4) जोड़ी जायेगी, यथा- '' (4) यदि सशक्त स्थायी सिमिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र मुख्य पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा और ऐसा नामित प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।''
- 9. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-25 का संशोधन।- (i) उक्त अधिनियम की धारा-25 की उप-धारा (5) में जहाँ कही भी प्रयुक्त शब्द'' प्रमंडलीय आयुक्त'' को शब्द ''सरकार'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और शब्द ''नगरपालिका पर अधिकारिता रखनेवाले'' को विलोपित किया जायेगा।
 - (ii) उक्त अधिनियम की धारा-25 की उप-धारा (5) के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा:-
 - ''परन्तु, धारा-44 के अधीन लोकप्रहरी की नियुक्ति के बाद सरकार, इस उप-धारा के अधीन ऐसे लोकप्रहरी की अनुशंसा के आधार पर ही आदेश पारित कर सकेगी।''
 - (iii) हिन्दी पाठ की उप-धारा (5) की दूसरी कंडिका को उप-धारा (6) के रूप में संख्यांकित करते हुये इसकी अंतिम कंडिका के शब्दों ''प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।'' विलोपित किया जायेगा।
- 10. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-27 का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-27 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। यथा, ''27'' (1) (क) इस अधिनियम की धारा-21 की उप-धारा (2) में प्रावधानित सशक्त स्थायी समिति के सदस्य और धारा-21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत मुख्य पार्षद द्वारा नामित अन्य सदस्य तब तक पदधारण करेगे जब तक कि:-
 - (ख) अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्तलिखित त्यागपत्र के द्वारा पद त्याग करें। इस मामले में त्याग पत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जब वह अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत हो, या
 - (ग) अध्यक्ष के लिखित आदेश के द्वारा हटा दिया जाय,
 - परन्तु यह कि नामित होने के दो वर्षों के अंदर सशक्त स्थायी समिति के किसी सदस्य को नहीं हटाया जायेगा।
 - (घ) धारा-23 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद के द्वारा अध्यक्ष पद धारण करने की स्थिति में मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने का अन्य कारणों से हुई रिक्ति,
 - (2) धारा-23 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशक्त स्थायी समिति को पुनर्गठित करेगा।''

11. बिहार अधिनियम, 11, 2007 में नई धारा-27 अ एवं आ का जोड़ा जाना।-

उक्त अधिनियम की धारा-27 के पश्चात् निम्नांकित धारा-27 अ एवं 27 आ अंत:स्थापित किया जायेगा; यथा।-

- "27 अ मुख्य पार्षद के शक्तित तथा कृत्य:-
- (1) मुख्य पार्षद नगरपालिका का कार्यपालक अध्यक्ष होगा और नगरपालिका प्रशासन उसके पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और ऐसी शिक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त है।
- (2) मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी सिमिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उपमुख्य पार्षद अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
- (3) यदि मुख्य पार्षद यथा प्रावधानित सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो ऐसी बैठक उपमुख्य पार्षद/मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा बुलायी जायेगी।
- (4) सशक्त स्थायी सिमिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठक में विचारणीय विषय मुख्य पार्षद के निर्देशन में तैयार किये जायेगें और यह सशक्त स्थायी सिमिति के सदस्यों एवं पार्षदों के बोर्ड में मुख्य पार्षद द्वारा यथा निर्धारित रीति से परिचालित किया जायेगा।
- (5) यदि मुख्य पार्षद की राय में आपवादिक परिस्थितयों में किसी ऐसे कार्य का तुरंत क्रियान्वयन आवश्यक हो जिसमें सामान्यत: सशक्त स्थायी समिति अथवा पार्षदों के बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होता है, तो वह ऐसे कार्य का तुरंत क्रियान्वयन निर्देशित कर सकता है;

परन्तु यह कि यथास्थिति ऐसे मामलों को वह तुरंत सशक्त स्थायी समिति या पार्षदों के बोर्ड को इस धारा के अंतर्गत किये गये कार्य एवं उसका कारण प्रतिवेदित करेगा।

27-आ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के शक्ति एवं कृत्य:-

- (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा तथा नगरपालिका के सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होगा।
- (2) मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अध्ययीन, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिये नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होगें।
- (3) राज्य सरकार के द्वारा उसकी सेवा की वापसी पर विचार के उददेश्य से बुलायी गई बैठक को छोड़कर वह पार्षदों की बैठकों एवं समितियों की बैठक में उपस्थित रहेगा और ऐसी बैठकों में विवरण प्रस्तुत करने, तथ्यों को स्पष्ट करने का अधिकार होगा किन्तु ऐसी बैठकों में पक्ष अथवा विपक्ष में मत नहीं देगा अथवा प्रस्ताव उपस्थापित नहीं करेगा।
- (4) मुख्य पार्षद द्वारा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित शिक्तियों, कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- (5) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमाविलयों के अध्यधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमाविली/उप विधि द्वारा प्रदत्त अपने किसी शिक्त, कर्त्तव्य एवं कृत्य को अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (6) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सशक्त स्थायी सिमिति अथवा पार्षदों के बोर्ड अथवा नगरपालिका सिमिति के द्वारा लिये गये निर्णयों को जबतक कि ये निर्णय इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा निरस्त अथवा निलंबित नहीं कर दिया जाय, विधि के प्रावधानों के अनुरूप कार्यान्वित करेगा।
- (7) किसी कारण से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियमावली के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शिक्तत्यों का प्रयोग नगरपालिका के उस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा जिसे इस हेतु मुख्यपार्षद के द्वारा नामित किया जाय।''

- **12. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-30 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-30 की उप-धारा (6) की संख्या ''369'' को संख्या ''342'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- **13. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–31 का संशोधन।** –उक्त अधिनियम की धारा–31 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

''31-वार्ड समिति और क्षेत्र सभा।- (1) नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड समिति और सरकार द्वारा यथा निर्धारित क्षेत्र सभाएँ होंगी।

(2) वार्ड सिमिति और क्षेत्र सभा का गठन और कार्य नियमावली के अंतर्गत सरकार द्वारा यथा निर्धारित होंगे:

परन्तु यह कि जनसंख्या एवं अन्य संगत विचारों के आधार पर सरकार इस अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत यथा प्रावधानित गठन को निबंधित कर सकेगी।

- 14. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-32 का संशोधन। -उक्त अधिनियम की धारा-32 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-
 - (i) उप-धारा (1) के खंड (ग) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
 - ''(ग) गंदी बस्ती उन्नयन और शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएँ''
 - (ii) उप-धारा (4) में शब्द ''विषय समिति के गठन'' को ''विषय समिति में महिलाओं के लिए आरक्षण'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (iii) उप-धारा (4) के बाद निम्नांकित नई उप-धारा (4 क) जोड़ी जायेगी, यथा-
 - (4 क) आम निर्वाचन के प्रथम बैठक के बाद एक महीने के अंदर पार्षदों के बोर्ड के द्वारा अपने सदस्यों के बीच से उप-धारा (1) में संदर्भित विषय समिति का निर्वाचन किया जायेगा;

परन्तु यह कि कोई भी पार्षद ऐसी दो सिमितियों से अधिक के लिये नहीं चुना जायेगा।''

(iv) उप-धारा (6) निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा।-'' (6) प्रत्येक विषय समिति अपने सदस्यों में से एक को अपना अध्यक्ष चुनेगी,

परन्तु यह कि कोई सदस्य एक ही समय में एक से अधिक विषय समिति का अध्यक्ष नहीं होगा;

परन्तु यह और कि कोई भी सदस्य किसी विषय सिमिति का लगातार दो बार से अधिक अध्यक्ष नहीं होगा।''

- 15. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-36 का संशोधन। -उक्त अधिनियम की धारा-36 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-
 - (क) उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में शब्द ''वित्त सेवा के बाद शब्द'' अथवा ''बिहार लेखा सेवा'' जोड़ा जायेगा।
 - (ख) उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (vi) के बाद एक नया उपखंड (vii) जोडा जायेगा, यथा-
 - "(vii) नगरपालिका आंतरिक अंकेक्षण,"
 - ''(ग) उप-धारा (9) में शब्द ''साठ'' को शब्द ''पैसठ'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 16. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-38 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-38 के अंग्रेजी पाठ में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे:-
 - (i) खण्ड (a) में अक्षर 'A' के बाद शब्द और अक्षर " and B" अन्त:स्थापित किया जायेगा तथा शब्द "The Chief Municipal Officer" को "Government" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (ii) खण्ड (b) विलोपित किया जायेगा।
 - (iii) खण्ड (c) को खण्ड (b) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा।
- 17. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-41 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-41 में एक और परन्तुक जोड़ा जायेगा। यथा-

- ''परन्तु यह और कि पदाधिकारी की वापसी के संबंध में निर्णय उसके पदस्थापन के एक वर्ष के अंदर नहीं लिया जायेगा।''
- 18. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-44 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-44 को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-
- "44-लोकप्रहरी- (1) राज्य सरकार किसी मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/नगरपालिका के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के विरूद्ध शापथ पत्र में वर्णित या राज्य सरकार से संदर्भित या उसकी सूचना में आये भ्रष्टाचार, अपचार, ईमानदारी का अभाव अथवा किसी प्रकार के अनाचार अथवा कुप्रशासन अथवा अपराध की जाँच यथाशीघ्र किन्तु तीन महीनों से अनिधक में, आदेश पारित करने के लिये उतनी संख्या में लोकप्रहरी की नियुक्ति करेगी जैसा कि समय-समय पर निर्धारित की जाय।
- (2.) लोकप्रहरी की नियुक्ति की योग्यता, सेवा शर्त्त, पदाविध और शक्ति तथा कर्त्तव्य वह होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाये।
- (3.) राज्य सरकार ऐसी जाँच करने, अथवा कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने जैसा कि सरकार द्वारा नियमावली के द्वारा निर्धारित की जाय, अधिसूचना द्वारा लोकप्रहरी को दायित्व सौंपेगी।
- 19. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-45 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-45 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iv) में शब्द "सामाजिक न्याय" के बाद शब्द" गंदी बस्ती उन्नयन और शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएँ उपलब्ध कराने" जोड़ा जायेगा।
- 20. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-48 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-48 की उप-धारा (2) के अंग्रेजी पाठ में निम्नांकित संशोधन किये जायेगे:-
 - (i) शब्द "one fifth" शब्द संख्या और अक्षर "2/5th" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (ii) "Municipality" शब्द के बाद "within fifteen days" अन्त:स्थापित किये जायेगे।
- **21. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 50 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-50 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-
 - (i) उप-धारा (1) की संख्या "1/5" को संख्या "2/5" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (ii) उप-धारा (3) में शब्द, कोष्ठक और संख्या ''उप-धारा (2) के बाद शब्द ''पीठासीन प्राधिकारी के द्वारा, जैसा कि वह सुविधाजनक समझे, तिथि, समय और स्थान निर्धारित किया जायेगा जो स्थगन की तिथि से तीन दिनों के पहले नहीं होगा। बाद की बैठक के लिये बैठक स्थगित किये जाने के दिन नगरपालिका के कार्यालय में प्रदर्शित सूचना पर्याप्त होगी'' अन्त: स्थापित किये जायेंगे।
- **22. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-51 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-51 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-
- (i) उपधारा (1) में शब्द ''अध्यक्षता करेगा'' के बाद शब्द ''यदि मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद दोनों बैठक में अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे'' जोड़ो जायेंगे।
 - (ii) उप-धारा (1) के परन्तुक के बाद एक नया निम्नलिखित परन्तुक जोडा जायेगा, यथा,
- '' परन्तु यह और कि यदि बैठक मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद दोनों को हटाने के लिये बुलायी जाय तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।''
- 23. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-73 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-73 में उप-धारा (2) के शब्द ''गंदी बस्ती सेवा'' को शब्द'' गंदी बस्ती उन्नयन और शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएँ,'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- **24. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-82 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-82 की उप-धारा (7) के बाद एक नई उप-धारा (8) जोड़ों जोयगी, यथा-
- ''(8) आय-व्ययक प्राक्कलन, उस प्रपत्र में और उस रीति से, जैसा कि निर्धारित किया जाय, तैयार, उपस्थापित और पारित किया जायेगा।''

- **25. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-87 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-87 को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-
- ''87-लेखा निर्देशिका तैयार करना।- राज्य सरकार प्रोदभवन आधारित द्वैध प्रवेश लेखा प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिये एक निर्देशिका तैयार, अद्यतन और संधारित करेंगी जिसमें नगरपालिओं से सम्बन्धित वित्त एवं लेखा संबंधी सभी विवरण रहेंगे।''
- **26. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-88 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-88 की उप-धारा (1) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-
- "(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्ववर्ती वर्ष की नगरपालिका की लेखा से संबंधित निधि वहाव विवरण, आय और व्यय लेखा, प्राप्ति एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र वर्ष की समाप्ति के चार महीने के अंदर तैयार करायेंगे।''
- **27. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-91 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-91 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-
- (i) उप-धारा (2) को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा- ''(2)- स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन विधान मंडल के दोनों सदनों में रखा जायेगा।''
- (ii) उप-धारा (3) में शब्द ''नियंत्रक महालेखा परीक्षक'' को शब्द'' स्थानीय लेखा परीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा,
- (iii) उप-धारा (6) के शब्द ''लेखा परीक्षक'' को शब्द'' स्थानीय लेखा परीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 28. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-92 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-92 की उप-धारा (1) का शब्द ''नियंत्रक महालेखापरीक्षक'' शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा.
- 29. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-93 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-93 की उप-धारा (1) का शब्द ''लेखापरीक्षक'' को शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- **30. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-94 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-94 की उप-धारा (1) में शब्द ''नियंत्रक महालेखा परीक्षक'' जहाँ कहीं आया शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- **31. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-98 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-98 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के बाद एक नया खंड (गग) जोड़ा जायेगा, यथा-
- ''(गग) धारा-90 के अंतर्गत लेखा परीक्षक एवं धारा 97 के अंतर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षक के प्रत्येक प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् कार्यानुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा एवं उसे अनुमोदित करना।''
- **32. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-127 का संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा-127 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे यथा-
- (i) उप-धारा (1) के खंड (क) में शब्द ''जमीनों'' के बाद शब्द ''खाली पड़ी जमीनों सिंहत'' को अंत:स्थापित किया जायेगा,
 - (ii) उप-धारा (1) के खंड (ड) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा-
 - ''(ड) संचार मीनार अथवा सम्बन्धित संरचना/डिस्क एनटेना।''
- (iii) उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक के शब्द "परन्तु यह कि" के बाद" किसी व्यक्ति के द्वारा, जो भूमि और भवन पर सम्पत्ति कर का दायी है, भूमि अथवा भवन अथवा दोनों अर्जित करने के 30 (तीस) दिनों के अंदर सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु अर्जित ऐसे अर्जन की सूचना नगरपालिका को देगा। ऐसी सूचना देने में विफल होने पर उसे सूचना छिपाने के आधार पर अर्जन की तिथि से देय बकाये तथा उस पर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक, जैसा कि राज्य सरकार नियमावली के अंतर्गत निर्धारित करे, दंड के साथ भुगतान का दायी बनावेगा" अंत: स्थापित किया जायेगा।

- (iv) उप-धारा (3) के द्वितीय परन्तुक में शब्द- ''असंलग्नता या अवनिर्धारण'' को शब्द ''सम्पत्ति कर निर्धारण के लिये जानबूझ कर तात्विक जानकारी छिपाना'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (v) उप-धारा (4) में एक नया खंड (ii) अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा-
- (ii) ''यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि कोई धृति प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क अथवा अन्य सड़क पर अवस्थित है, प्रत्येक धृति का मुख्य प्रवेश द्वार विनिश्चित करने वाला कारक होगा। ऐसे मामलों में जहाँ धृति एक से अधिक सड़कों पर अवस्थित हो, प्रधान मुख्य सड़क मुख्य सड़क पर अभिभावी होगी।
- (vi) उप-धारा (4) के खंड (π) के उपखंड के खंड (ii) में ''कौरेगेटेड चादर'' के बाद तिर्यक/और शब्द''/ पत्थर अथवा किसी स्थायी उपादान'' अंत:स्थापित किये जायेंगे–
- (vii) उप-धारा (4) के खंड (η) के बाद निम्नांकित खंड (η) और (ξ) अंत:स्थापित किये जायेंगें–
 - "(घ) (i) स्वयं के दखल में,
 - (ii) किरायेदार के दखल में,
 - (ड.) धृति के गैर आवासीय उपयोग के प्रकार-
 - (i) होटल, रेस्तराँ, क्लब, सिनेमाघर, अतिथिगृह, विवाह भवन और मनोरंजन के सभी जगह,
 - (ii) दुकान, प्रदर्शन कक्ष,
 - (iii) व्यावसायिक कार्यालय, बैंक, अस्पताल और उपचर्यागृह, औषधालय, जाँचघर,
 - (iv) सरकारी कार्यालय एवं संस्थाएँ,
 - (v) उद्योग, कर्मशालाएँ,
 - (vi) विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाएँ, शोधसंस्थाएँ,
- (vii) पूर्त्त न्यासों द्वारा अलाभ-अहानि के आधार पर गरीबों, विकलांगों, महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लिये चलाये जाने वाले शैक्षिक और सामाजिक संस्थाएँ,
 - (viii) धार्मिक स्थान
 - (ix) वैसी धृति जो (i) से (viii) के अंदर आच्छादित नहीं है।"
 - (viii) उप-धारा (6) मे एक निम्नांकित परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा-
- ''परन्तु यह कि ऐसे मामलों में जहाँ सम्पत्ति पर तालाबंदी पायी जाय अथवा किसी भी कारण से कारपेट क्षेत्र की नापी के लिये प्रवेश्य नहीं हो नगरपालिका सम्पत्ति कर के निर्धारण के उद्देश्य से कुर्सीक्षेत्र के 75 प्रतिशत भाग को उस समय तक के लिये कारपेट क्षेत्र मानेगी जबकि पश्चात्वर्ती वर्षों में वह सम्पत्ति प्रवेश्य हो।''
- (ix) उप-धारा (7) के खंड (i) के शब्द ''निर्माण के प्रकार'' को शब्द ''निर्माण के प्रकार, धृति की धारिता एवं धृति के गैर आवासीय उपयोग के प्रकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (x) उप-धारा (8) में खंड (iv) के बाद एक नया खंड (v) अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा-
- "(v) खाली भूमि पर सम्पत्ति कर क्रमशः न्यूनतम एक रूपये और अधिकतम पाँच रूपये प्रतिवर्ग मीटर धारा-127 (4) (1) (क) में परिगणित मानदंडों के आधार पर भूमि की अवस्थिति के अनुसार लगाया जायेगा। लगायी जाने वाली दर का निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्मित नियमावली के द्वारा किया जायेगा।''
- 33. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-128 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-128 में शब्द ''नगरपालिका'' के बाद शब्द और अंक ''धारा-127 के अंतर्गत लगाये गये सम्पति कर के अतिरिक्त'' अंत:स्थापित किये जायेंगे।
- **34. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-130 का प्रतिस्थापित किया जाना।** उक्त अधिनियम की धारा- 130 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

- "130 **कर और फीस पर अधिभार लगाया जाना**-राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपभोग पर 2.5 प्रतिशत कर, उपभोक्ता अधिभार, शुल्क अथवा दण्ड लगा सकेगी।"
- **35. बिहार अधिनियम, 11, 2007 में नई धाराओं का जोड़ा जाना।** –उक्त अधिनियम की धारा-138 के बाद निम्नलिखित नई धारा-138 अ एवं आ जोड़ी जायेगी-
- "138 अ-सम्पत्ति कर बोर्ड- राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड स्थापित करेगी जो राज्य की सभी नगरपालिकाओं को सम्पत्ति कर निर्धारण की स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने में सहायता करेगा।

138 आ-सम्पत्ति कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य-सम्पत्ति कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता तथा निरहिता, उनकी नियुक्ति एवं कृत्य ऐसी रीति से होगी जैसा कि विहित की जायेगी। ''

- **36. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-317 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-317 में शब्द ''पारित'' के बाद शब्द ''नहीं'' अन्त:स्थापित किया जायेगा।
- 37. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-322 का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-322 की उप-धारा-(2) के हिन्दी मूल पाठ में शब्द ''सौ'' को शब्द ''हजार'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 38. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-416 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-416 के परन्तुक में शब्द ''हेतु'' के बाद शब्द ''नहीं'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- **39. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-428 का संशोधन।** -उक्त अधिनियम की धारा-428 के शब्द ''पदाधिकारी'' शब्द ''प्राधिकारी'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- **40. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-441 का संशोधन।**-उक्त अधिनियम की धारा-441 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे:-
 - (i) शब्द ''राज्यपाल'' को शब्द ''राज्य सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (ii) परन्तुक के बाद एक नया निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा।:-

''परन्तु यह और कि आम निर्वाचन के पश्चात् विभिन्न कारणों यथा त्याग-पत्र, मृत्यु, पदच्युति, न्यायिक आदेश अथवा अन्य कारण आदि के अधीन रिक्त होने वाले पदों के लिए राज्य सरकार के स्तर से अधिसूचना निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे रिक्त पदों पर अपनी सुविधानुसार संबंधित जिला दण्डाधिकारी से विमर्श कर तथा सरकार को सूचित कर यथाशीघ्र निर्वाचन कराने की कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

27 मई 2011

सं0 एल0जी0-1-08/2011/100/लेज:।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत नगर विकास एवं आवास विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 7, 2011]

The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011

AN ACT

TO AMEND THE BIHAR MUNICIPAL ACT, 2007 (BIHAR ACT 11, 2007)

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

- 1. **Short title, extent and commencement-** This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011
 - (1) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. **Amendment of Section 2 of the Bihar Act 11, 2007**-In section-2 of said Act the following Amendments shall be made, namely-(i) after sub-section-(100) the following new subsections shall be added, namely-
- (101) "Action Taken Report" means action taken by the Government on the Report of the State Finance Commission constituted by the Government under Article 243-Y, read with Article 243-I of the Constitution of India
- (102) "Area Sabha" means Area Sabha constituted under Section 31 of this Act;
- (103) "Basic Services for the Urban Poor" means water supply, sewerage and drainage, toilets, solid waste management, streetlight, and internal roads
- (104) **"Board of Councillors"** means the elected body of the Municipality consisting of Councillors elected in general election under Section- 12 of this Act or in a byelection of a Municipality.
- (105) "Examiner of Local Accounts" means the Examiner of Local Accounts under the Bihar and Orissa Local Fund Audit Act, 1925
- (106) "Government" means the State Government of Bihar.
- (107) "Lok Prahari" means Lok Prahari to be appointed under Section-44 of this Act
- (108) "Property Tax Board" means the Bihar Property Tax Board created under Section 138A of this Act
- (109) "Slum" means a compact area of at least 100 people or about 20 households of poorly built congested tenements, in unhygienic environment usually with inadequate infrastructure and lacking proper sanitation and drinking water facilities.
- (110) "Vacant Land" means any land acquired through purchase, gift or otherwise on which building is not constructed after acquisition and also the appurtenant land of a building that exceed the permissible ground coverage under the building byelaws"
- (ii) English version of the Act in the subsection- (57) of section-2 the number '100' shall be substituted by the number '98'
- (iii) English version of the Act in the subsection- (58) of section-2 the number '89' shall be substituted by the number '87'
 - 3. **Amendment of Section- 12 of the Bihar Act 11, 2007-** In English version of the said Act in clause (b) of subsection-(2) of section-12 of the bracket and number '(1)' shall be substituted by the bracket and letter '(a)'
 - 4. Amendment of Section- 16 of the Bihar Act 11, 2007-
 - After clause (d) of section-16 of the said Act the following new clause (e) shall be added, namely-
 - "(e) Recalled under section- 17 of this Act, disqualified under section- 18 or section- 475 of this Act or removed under section- 18 (A)."

- 5. **Amendment of Section 16 of the Bihar Act 11, 2007-** After section- 16 of the said Act a new section-16 A shall be added, namely-
 - "16 A Powers and functions of the Councillor- (1) to attend Municipality's meetings.
 - (2) To carefully study the matters placed before the Municipality for consideration and take an active part in Municipality's decision-making processes.
 - (3) To take active part in determining Municipality's objectives and policies to ensure that they are appropriate for the local area.
 - (4) To carefully study Municipality's resource allocation, expenditure incurred and efficiency and effectiveness of its service delivery especially to the poor and women and ensure equitable allocation of resources for service delivery to all sections of society.
 - (5) To bring to the Municipality's attention anything falling within the Bihar Municipal Act, 2007 that would promote the welfare of or protect the interests of the communities especially the poor.
 - (6) To actively participate in Ward Committee meetings and facilitate preparation of development plans in consultation with Ward communities especially the poor and the women.
 - (7) To observe implementation of development plans and programmes in his Ward and bring to the notice of the Municipality any gaps or shortcomings needing correction.
 - (8) To help the Municipality in identification of beneficiaries of government programmers for the welfare of the communities, especially the poor and the women."
- 6. **Amendment of Section- 17 of the Bihar Act 11, 2007-**In section-17 of said Act the following the amendment said Act namely-
 - (i) The first proviso of sub-section (1) shall be substituted by the following, namely-

"Provided that no process of recall shall be initiated unless two-thirds of the registered electors of any ward submit a representation to the State Government alleging that the Councillor representing the Ward is unfit to continue in office"

Sub-section-(2) of Section-17 shall be substituted by the following -: "When the proposal to recall a Councillor is presented to the State Government under the first proviso to Sub-section (1), the State Government after making such enquiry as deemed fit and satisfying itself that majority of the registered voters of the ward desire the recall of the Councillor, shall make a reference to the state election commission"

- (ii) After sub-section-(3) the following the new subsections shall be inserted, namely-
- "(4) if a Councillor is found guilty of misconduct in discharge of his duties, or if he is convicted of any such offence, or subjected by a criminal court to any such order as implies moral turpitude which in the opinion of the State Government, renders him unfit to be a Councillor, he shall be removed by the State Government after giving him an opportunity of being heard."
- 7. **Amendment of Section-18 of the Bihar Act 11, 2007**-In section-18 said Act the following amendments shall be made, namely-
 - (i) Proviso to the section-18 (b) of the said Act shall be substituted by the following:-

"Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty five years of age, if he has attained the age of twenty one years."

- (ii) Sub-section- (2) shall be substituted by the following, namely-
- "(2) If any question arises as to whether a Member of a Municipality at any level was disqualified before election or has incurred disqualification after election as provided in Article-243-V of the Constitution of India and subject to any of the disqualification mentioned in section -475 or the subject to any of the disqualification mentioned in sub-section (1) of section-18 the question shall be referred for the decision of State Election Commissioner. The matter of disqualification may be brought to the notice of the State Election Commission in the form of a complaint, application or information by any person or authority. The State Election Commission may also take suo-motu cognizance of such matters and decide such matters expeditiously after allowing sufficient opportunity to the affected parties of being heard."
- 8. **Amendment of Section-23 of the Bihar Act 11, 2007-**In section-23 said Act the following amendments shall be made, namely-
 - (i) In sub-section (1)- the words "elect in accordance with such procedure as may be prescribed" shall be substituted by the words "under supervision, direction and control of the State Election Commission, elect".
 - (ii) Sub-section (2) shall be substituted as follows, namely-
 - "(2) If the Councillors fail to elect a Chief Councillor under Sub-section (1), the State Government shall suspend the Board of Councillors and appoint an Administrator. The Board of Councillors shall remain suspended till such time the Councillors elect the Chief Councillor or till the tenure of the municipal Councilors is over, whichever is earlier".
 - "(iii) In Sub-section (3) after the words "chief councillor", the words "or, deputy chief councillor" shall be added.
 - (iv) In Sub-section (3) after the words "fill up the vacancy" the words "and the Chief Councillor or the Deputy Chief Councillor so elected shall continue in office for the unexpired term of his predecessor" shall be inserted.
 - (v) After Sub-section (3) the following new subsection-(4) shall be added, namely-
 - "(4) If any casual vacancy occurs in the office of the Member of the Empowered Standing Committee, the Chief Councillor shall as soon as may, after the occurrence of such vacancy, nominate one of the elected members of the Municipality to fill the vacancy and every Councillor so nominated shall continue in office for the unexpired term of his predecessor."
- 9. **Amendment of Section-25 of the Bihar Act 11, 2007**-In the said Act in section-25 the following amendments shall be made, namely-
 - (i) In sub-section-(5) the words "divisional commissioner" wherever occur in section 25 of the said Act shall be substituted by the word "Government" and the words" having territorial jurisdiction over the municipality" shall be deleted.
 - (ii) The following proviso shall be added after section-25 (5) of the Act as under:-

"Provided that after appointment of Lok Prahari, under section-44, the Government, may pass order under this sub-section only on the basis of recommendation of such Lok Prahari."

(iii) In sub-section-(6) the last line "appeal shall lie before the State Government against the order of divisional commissioner, shall be deleted-

- 10. **Amendment of Section 27 of the Bihar Act 11, 2007** In the said Act section 27 shall be substituted by the following, namely-
 - "27. The term of office of the chief councillor and the members of Empowered Standing Committee:- (1) Members of the Empowered Standing Committee as provided for in subsection (2) of section 21 of this Act and other members nominated by the Chief Councillor under subsection (3) of section 21 of this Act shall hold office until-
 - (a) he ceases to be a Councillor, or
 - (b) he resigns his office by writing under his hand addressed to the Chairman in which case the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Chairman, or
 - (c) he is removed from office by a written order of the Chairman, or provided that no member of empowered State Committee shall be removed from his post within two yeas of his nomination.
 - (d) a newly elected Chief Councillor under sub-section (3) of section 23 enters upon his office in the case of any casual vacancy in the office of the Chairman of the Empowered Standing Committee caused by death, resignation, removal or otherwise.
 - (2) The newly elected Chief Councillor under sub-section (3) of section 23 of this Act shall reconstitute the Empowered Standing Committee by nominating Members under sub-section (3) of Section 21.
- 11. **Addition of new section 27 A in the Bihar Act 11, 2007**-In the said Act after 27 the following new sections shall be added, namely-
 - "27 A- Powers and functions of the Chief Councillor- (1) The Chief Councillor shall head the Empowered Standing Committee and all the executive powers of the Municipality shall vest in the Empowered Standing Committee. The municipal administration shall function under its supervision and control and the Chief Councillor shall exercise such powers and functions as are delegated to him by the Empowered Standing Committee and conferred on him by or under this Act.
 - (2) The Chief Councillor shall preside over the meetings of the Empowered Standing Committee as well as the Board of Councillors
 - (3) Determine the matters to be discussed at a meeting of the Empowered Standing Committee as well as the Board of Councillors and circulate to the members of the Empowered Standing Committee as well as the Board of Councillors, as the case may be, in such manner as the Chief Councillor may determine.
 - (4) The Chief Councillor shall, if he is of the opinion that in exceptional circumstance, immediate execution of any work is necessary and the same ordinarily requires the approval of the Board of Councillors or the Empowered Standing Committee, as the case may be, may direct the execution of such work.

Provided that the Chief Councillor shall report forthwith but not later than fifteen days, to the Board of Councillors or the Empowered Standing Committee, as the case may be, the actions taken under this Section and the reasons there of.

Power and function of Chief Municipal Officer- (1) The Chief Municipal Officer shall be the Principal Executive Officer of the Municipality and all officers and other employees of the Municipality shall be subordinate to

27 B

- him. Powers of transfers & posting & disciplinary action against all officers and staff appointed by him under Sec.38 of this Act shall vest in the Chief Municipal Officer.
- (2) Subject to the supervision and control of the Empowered Standing Committee, and the provisions of this Act and of any Rules and Bye-laws made there under, executive functions for carrying on the administration of the municipality shall vest in the Chief Municipal Officer.
- (3) He shall be present at the meeting of the Board of Councillors, Empowered Standing Committee or of any committee except meetings convened for the purpose of considering the question of withdrawal of his service by the State Government and he shall have the right to make a statement or to explain facts, but he shall not vote for or against or make any proposition at such meeting.
- (4) Power, functions and duties delegated by the Municipality, the Empowered Standing Committee and under the provisions of this Act to the Chief Municipal Officer shall be exercised, discharged and performed by the Chief Municipal Officer.
- (5) Subject to provisions of this Act and Rules made under this Act, the Chief Municipal Officer may delegate any of his powers, duties and functions under this Act and any Rules and Bye-laws made there under to any officer subordinate to him.
- (6) The Chief Municipal Officer shall carry into effect every resolution of the Empowered Standing Committee or the Board of Councillor or of any Committee of the Municipality which is in conformity with provisions of law unless such resolution is set aside or suspended under this Act by the appropriate authority.
- (7) In the case of absence of the Chief Municipal Officer for any reason, the powers of the Chief Municipal officer as specified in the foregoing provisions of this section or elsewhere in this Act or the Rules made under this Act, shall be exercised by any officer of the Municipality as may be nominated by the Chief Councillor in this behalf till such time State Govt. makes a substitute arrangement."
- 12. **Amendment of 30 of Bihar Act 11, 2007.-** In the said Act in the sub-section-6 of section-30 the number "369" shall be substituted by the number 342.
- 13. **Amendment of Section 31 of Bihar Act 11, 2007.** In the said Act the section-31 shall be substituted by the following:-
 - "31: Ward Committee and Area Sabhas:-(1) Each Ward of a Municipality shall have a Ward Committee and such number of Area Sabha as may be determined by the State Government;
 - (2) Composition and functions of Ward Committee and Area Sabha will be as prescribed by the Government under the Rules.

Provided that, based on population and other relevant considerations, the Government may restrict the creation of Area Sabha in any classification of Municipal area as provided for under Section 7 of this Act."

- 14. **Amendment of Section-32 of the Bihar Act 11, 2007**.-In the said Act in section-32 the following amendments shall be made, namely-
 - (i) In clause (c) of sub-section (1) shall be substituted by the following, namely-
 - "(c) slum up-gradation & basic services for urban poor"

- (ii) In Sub-Section (4) after the words "The manner of the constitution", shall be substituted by the words "reservation of women on the subjects committee.
- (iii) After Sub-section (4) the following new subsection (4a) shall be added, namely-
- "(4a) After the first meeting within one months after general election, the Board of Councillors shall elect from amongst its members, Subject Committees referred to in Sub-section (1)."

"Provided that no Councillor shall be elected for more than two such Committees."

- (iv) Sub-section (6) shall be substituted as follows, namely-
 - "(6) Every Subject Committee shall elect one of its Members to be its Chairman.

Provided that no member shall at the same time be the Chairman of more than one Subject Committee;

Provided further that no Member will be elected for more than two consecutive terms as Chairman of any Subject Committee:"

- 15. **Amendment of Section 36 of Bihar Act 11, 2007** In said Act in section-36 the following amendments shall be made, namely-
 - (a) In sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section-(1) after the words Finance Service the words "or a member of Bihar Account Service" shall be added.
 - (b) After sub-clause (vi) in clause (b) of sub-section-(1) a new sub clause (vii) shall be inserted, namely-
 - (vii) The Municipal Internal Auditor
 - (c) In sub-section-9 the word "Sixty" shall be substituted by the word "Sixty-five"
- 16. Amendment of Section-38 in the English version of the of the Bihar Act 11, 2007- In the English version of section 38 of the said Act amendment shall be made as follows-
 - (i) In clause (a) after the letter "A" the words and letter "and B" shall be inserted and the words "the Chief Municipal Officer" shall be replaced by the word 'the Government'.
 - (ii) Clause (b) shall be deleted.
 - (iii) Clause (c) shall be renumbered as clause (b)
- 17. **Amendment of Section 41of the Bihar Act 11, 2007-** In section-41 in said Act one more proviso shall be added, namely-

"Provided further that resolution regarding withdrawal of the officer shall not be taken within one year of the posting of the officer."

- 18. **Amendment of Section 44 in the Bihar Act 11, 2007** In the said Act section 44 shall be substituted, namely-
- "44 Lok Prahari-(1) The State Govt. Shall appoint such number of Lok Prahari as the government may determine from time to time to inquire into any allegation of corruption, misconduct, lack of integrity, or any kind of malpractice or maladministration or misdemeanour of Chief Councillor/ Deputy Chief Councillor/ Officers and other employees of the Municipality, contained in a complaint in the form of an affidavit or on a reference from Government, or that has come to the notice of the Lok Prahari and pass order as soon as possible but not later than three months
- (2) The qualification, terms and conditions and tenure of appointment and the powers and duties of the Lok Prahari shall be as may be prescribed by the Government.

- (3) The State Government shall, by notification, entrust the responsibilities to the Lok Prahari, for conducting such inquiry or taking any other suitable action in the manner as may be prescribed under the Rules by the Government."
- 19. **Amendment of Section 45 of Bihar Act, 11, 2007** In section-45 in said Act in sub clause (iv) of clause (a) of subsection -(1) after the words "social justice" the words shall be added "slum up-gradation and provision of basic service to the urban poor" shall be added.
- 20. **Amendment of Section 48 of the Bihar Act 11, 2007** In the English version of the said Act subsection (2) of section 48 the following amendments shall be made, namely-
 - (i) The words "one fifth" shall be substituted by number and letter "2/5th".
 - (ii) After the word municipality the words "within fifteen days" shall be inserted.
- **21. Amendment of Section 50 of the Bihar Act 11, 2007-** In the said Act in section-50 the following amendment shall be made, namely-
 - (i) In subsection-(1) the words "one-fifth" shall be substituted by the words "one-third"
 - (*ii*) In subsection-(3) after the words, brackets and number "subsection-(2) the words "The presiding authority shall fix date, time and place for the same as he shall think convenient which shall not be earlier than three days from the date of adjournment.

A notice of adjournment exhibited in the municipal office on the day on which the meeting is adjourned shall be sufficient notice of the subsequent meeting." shall be inserted

- 22. **Amendment of Section 51 of the Bihar Act 11, 2007** In section-51 the following shall be made, namely-
 - (i) In sub-setion-(1) after the words "the meeting" the words "and if both the chief Councillor and Deputy Chief Councillor are absent form the meeting, the members present shall choose one of their members to preside; shall be inserted.
- (ii) In subsection-(1) after the proviso a new proviso shall be added as follows, namely-

"Provided further that if the meeting is convened for the removal of both Chief Councillor and Deputy Chief Councillor, the members present shall choose one of the members to preside."

- 23. **Amendment of Section 73 of the Bihar Act 11, 2007** In the said in sub-section (2) of section-73 the words "slum services" shall be substituted by the words "slum up gradation & basic services for urban poor"
- 24. **Amendment of Section 82 of the Bihar Act 11, 2007** In the said Act after subsection- (7) of section-82 a new subsection (8) shall be added, namely-
 - "(8)Budget estimate shall be prepared, presented and adopted in such Form and in such manner, as may be prescribed,"
- 25. **Substitution of section-87 of the Bihar Act, 11, 2007** In said Act section-87 shall be substituted as follows, namely-
 - "87. Preparation of accounting manual.- The State Government shall prepare, update and maintain, a Manual to be called the "Bihar Municipal Accounting Manual" for implementation of accrual based double entry accounting system containing details of all financial & accounting matters and procedures relating thereto in respect of the Municipalities."
- 26. **Amendment of Section 88 of the Bihar Act 11, 2007-** In said Act sub-section-(1) section-88 shall be substituted as follows, namely-

- "(1) The Chief Municipal Officer shall, within four months of the close of a year, cause to prepare financial statements consisting of a Funds Flow Statement, an Income and Expenditure Account, receipt and expenditure Account and a Balance Sheet for the preceding year in respect of accounts of the Municipality."
- 27. **Amendment of Section 91of the Bihar Act 11, 2007** In said Act in section- 91 the following amendment shall be made, namely-
 - (i) Sub-section-(2) shall be substituted as follows, namely-
- "(2) An Annual Report prepared by the Examiner of Local Accounts, Patna shall be laid on the both Houses of State Legislature."
 - (ii) In sub-section-(3) the letters "CAG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".
- (iii) In sub-section-(6) the letters "CAG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".
- 28. **Amendment of Section 92 of the Bihar Act, 11, 2007** In said Act in subsection-(1) of section- 92 the letters "C&AG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".
- 29. **Amendment of Section 93 of the Bihar Act, 11, 2007** In said Act in subsection-(1) of section- 93 the letters "C&AG" shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".
- 30. **Amendment in Section 94 of the Bihar Act, 11, 2007** In the said Act in section-94 the words "C & AG" wherever occurs shall be substituted by the words "Examiner of Local Accounts".
- 31. **Amendment of Section 98 of the Bihar Act 11, 2007** In sub-section-(6) of section-98 after clause (c) a new clause (cc) shall be inserted as follows, namely-
- (cc) "To review and approve the Action Taken Report (ATR) following each report by the Auditor under Section 90 and the Internal Audit under section-97.
- 32. **Amendment of Section 127 of the Bihar Act 11, 2007** In said Act in section-127 the following amendments shall be made, namely-
 - (i) In clause (a) in subsection-(1) after the words "Buildings" the words "including vacant Land" shall be inserted.
 - (ii) In subsection (1) clause (l) shall be substituted as follows, namely-
 - "(l) Communication towers and related structures/ Disc antennas."
 - (iii) In first proviso to sub-section (3) after the words "provided that" the words "every person liable to pay Property Tax on lands and buildings shall within 30 days of acquiring land or building or both, intimate the Municipality of such acquisition of property for assessment of Property Tax. Failure to give such information shall make him liable to assessment from the date of acquisition of property together with penalty in the range of 25 percent to 100 percent of the arrears becoming due on account of suppression of information as may be prescribed under Rules by the State Government shall be inserted."
 - (iv) In second proviso in sub-section-(3) the words "any discrepancy or under assessment" shall be substituted by the words "any willful suppression of material information essential for assessment of Property Tax"
 - (v) In sub-section (4) a new clause (ii) shall be inserted as follows, namely-
 - (ii) For the purpose of determining whether a holding is situated on Principal Main Road, on the Main Road or on any other Road, road facing the main entrance of each holding shall be the deciding factor. In case where the properties are located on more than one road, Principal Main Road shall prevail over the Main Road and the Main Road shall prevail over other Road."

- (vi) In sub clause (ii) of clause (c) of sub-section (4) after the words "corrugated sheet" the oblique/and words "/stone or any other permanent material" shall be inserted.
- (vii) After clause (c) of sub-section (4) (1) the new clause (d) and (e) shall be inserted as follows, namely-

"(d) Type of Occupancy:-

- (i) Self-occupied;
- (ii) Tenant Occupied
- (e) Type of non-residential use of Holdings
 - (*i*) Hotels, restaurants, clubs, cinema houses, Guest Houses, Marriage Halls and all places of entertainment;
 - (ii) Shops, show rooms;
 - (iii) Commercial offices, banks, hospitals and nursing homes, dispensaries, laboratories,
 - (iv) Government Offices and institutions
 - (v) Industries, workshops;
 - (vi) Schools, colleges and other educational institutions, research institutions;
 - (vii) Educational and social institutions run by charitable trust on no-profit no-loss basis for the benefit of poor, physically challenged, social security of women and children;
 - (viii) Religious places, and
 - (ix) Any other holdings not covered under (i) to (viii)."
 - (viii) In sub-section (6) a Proviso shall be inserted as follows, namely-

"Provided that in cases where the property is found locked, or is not accessible for the measurement of carpet areas for any reason whatsoever, the Municipality shall take into consideration 75 percent of the plinth area of the property as carpet area for the purposes of assessment of Property Tax until the property becomes accessible in subsequent year."

- (ix) In clause (i) of Sub-section (7) the words "and the type of construction of holdings" shall be substituted by the words type of construction, occupancy of the holdings and type of non-residential use of holdings."
- (x) After clause (iv) in Sub-section (8) of a new clause (v) shall be inserted as follows, namely-
 - "(v). Property Tax on vacant land shall be levied annually within minimum and maximum of Re. one and Rs. 5 respectively per square meter of vacant land depending on the situation of land falling in the criteria given in Section-127(4)(1)(a). The rates to be levied shall be determined from time to time under the under Rules to be framed by the State Government"
- **33.** Amendment of Section-128 of Bihar Municipal Act, 11, 2007- In the said Act in section-128, after the words "The Municipality shall" the words and figure "besides levy of Property Tax under Section-127," shall be inserted:-
- **34. Substitution of section-130 of the Bihar Act 11, 2007-** In the said Act section-130 shall be substituted as follows, namely-

- "130 Levy of surcharge on tax or fee.- Subject to the approval of the State Government, the Municipality may levy a surcharge at the rate of 2.5 percent on a tax a user charge or fee or fines or on electricity consumption within the municipal area."
- **35. Addition of new sections in the Bihar Act 11, 2007** In said Act after section-138 the following new sections shall be added, namely-
 - **"138 A. State Property Tax Board-** State Government shall put in place a state level Property Tax Board, which may assist all municipalities in the state to put in place an independent and transparent procedure for assessing property tax.
 - **138 B. Chairman and Members of the State Property Tax Board**-Qualification and disqualification of the Chairman and the members of the Property Tax Board, their appointment and functions shall be in such manners as may be prescribed."
- **36. Amendment of Section-317 of the Bihar Act 11, 2007** In the Hindi text of the said Act in section 317 after the word "पारित" the word "नहीं" shall be inserted.
- 37. Amendment of Section-322 of the Bihar Act 11, 2007- In the Hindi text of the of the said Act in sub-section (2) of section-322 the words "सो" shall be substituted by the word "हजार".
- **38. Amendment of Section-416 of the Bihar Act 11, 2007-** In the Hindi text of the said Act in proviso to section-416 the word "ਜੋਈ" shall be inserted after the word "हेतु".
- **39. Amendment of Section-428 of the Bihar Act 11, 2007** In section-428 of the Hindi text of the Act the word "पदाधिकारी" shall be substituted by the word "प्राधिकारी".
- **40. Amendment of Section-441 of the Bihar Act 11, 2007** (1) In section-441 of the said Act the following amendments shall be made as follows, namely: -
 - (i) The word "Governor" shall be substituted by words "State Government"
 - (ii) After the proviso to the section-441 the following new proviso shall be added, namely-
 - "Provided also that no such notification shall be required to be issued to hold elections, against such posts, which after general election have subsequently become vacant due to resignation, death, removal from post, judicial order or some other reason. The State Election Commission, as per its convenience, after consultation with the concerned District Magistrate and intimation to the Government, shall be free to take action to hold election against such posts as sooner as may be."

By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 241-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in